न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
(1) सवाराम पुत्र मोतीजी, जाति– घांची, निवासी– जावाल, तहसील व जिला– सिरोही
(2) ग्राम पंचायत जावाल, वर्तमान में: नगर पालिका, जावाल जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 49/2022

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री अश्विन कुमार मरडिया, अप्रार्थी संख्या– 1 (एक) की ओर से
3. अधिवक्ता श्री कैलाश नामा, अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 25 मई, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक (अंकित नही है) (मिसल संख्या 219 दायर दिनांक 22.1.2021 अंकित है) को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से ओर से अधिवक्ता श्री अश्विन कुमार मरडिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से लिखित जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत किये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशनामा उपस्थित हुये, लेकिन अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण अप्रार्थी संख्या–2 का जवाब बन्द किया।

(3) बहस सुनी गई। विद्वान पेरोकार सरकार ने प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस में यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जिस भूमि का आवासीय पट्टा संख्या 35 (जिस पर मिसल संख्या 219 दायर दिनांक 22.1.2021 अंकित है) जारी किया गया है वह विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी संख्या– 1(एक) के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 278 किस्म गोचर भूमि दर्ज है। यह कि जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक दिनांक 07.12.2021 में Suo moto के तहत प्रकरण दर्ज कर जिला कलक्टर, सिरोही के पत्र क्रमांकःसर्तकता/ 33(14)()बैठक/ 2021/185 दिनांक 13.12.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिरोही को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिनके द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट उनके पत्र क्रमांक/सतर्कता/जांच/2022/175 दिनांक 22.3. 2022 के द्वारा जिला कलेक्टर, सिरोही को प्रेषित की गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत, ज़ावाल द्वारा दिन[illegible] पट्टो में से 42 पट्टे गोचर भूमि एवं 15 पट्टे प्रतिबंधित राजकीय भूमि [illegible] खातेदारी भूमि में जारी किये गये। ग्राम

......पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:23:08 IST
Reason: SelfAttested

(मुहर: अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायत, जावाल द्वारा उक्त 57 पट्टे अवैधानिक रूप से जारी किये जाने से उक्त गैर विधिक पट्टो को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु जिला कलक्टर, सिरोही के पत्र क्रमांकःमा.ज.सु / स.प्र.(32) / 2022 / 76 दिनांक 01.6.2022 के द्वारा तहसीलदार, सिरोही को अधिकृत किया गया है। यह कि उपखण्ड अधिकारी, सिरोही की उक्त रिपोर्ट क्रमांक 175 दिनांक 22.3.2022 से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में आवासीय पट्टा गोचर .भूमि में जारी किया गया है, जो की प्रतिबंधित भूमि है। ग्राम पंचायत को गोचर भूमि में पट्टा जारी करने का कोई हक अधिकार नही है। उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही को जांच के दौरान प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मिसल उपलब्ध नही करवाई है। इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों का पालना नही किया गया है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, जावाल के तत्कालीन सरपंच व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नियमों की अवहेलना कर अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा गोचर भूमि में पट्टा जारी किया जाना अवैधानिक एवं पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 22.3.2022 के अनुसार अप्रार्थी संख्या–1 (एक) का अवासीय मकान पाया गया जो गोचर भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया गया है एवं अप्रार्थी संख्या–1 (एक) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नही रखता है। ग्राम पंचायत, जावाल के तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या–1(एक) को अनुचित लाभ देने की नियत से उक्त नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जावे। अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में अंकित तथ्यों एवं AIR 2017(NOC)227 Raj Para 19, AIR 2015 Raj. 40, 1982 RLW 371 para(c), 1983 RLW 268 para(c), Sec. 115 C.P.C., 1984 RRD 692 Para 10, 1997 DNJ 751, 1997(3) RLW 1567 para 45, 16, 1997 SAR 783(SC), 1999(3)RLW 1390 para 5, 1999 WLC(UC) 264 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत भूमि ग्राम पंचायत, जावाल के स्वामित्व की है। प्रश्नगत पट्टे वाली भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा सन् 1984 में ही जारी किया जा चुका था। ग्राम पंचायत द्वारा श्री मंछाराम पुत्र मनाजी प्रजापति निवासी जावाल के पक्ष में उक्त भूमि रूपए 320 / – में विक्रय किए जाने का संकल्प संख्या 03 दिनांक 19.6.1984 लिया जाकर दिनांक 24.9.1984 को पट्टा संख्या 302 जारी किया था। उक्त पट्टा 40 गुणा 80 फीट भूमि का जारी किया गया था। श्री मछाराम ने विक्रय विलेख दिनांक 17.6.1985 के जरिए उक्त पट्टाशुदा भूमि में से पूर्व दिशा की 20 गुणा 80 फीट भूमि श्री मोती पुत्र दानाजी को विक्रय की थी एवं भूमि का कब्जा प्रदान किया गया था। उसी रोज मंछाराम जी ने उक्त पट्टाशुदा भूमि में से पश्चिम दिशा की 20 गुणा 80 फीट भूमि श्री गेमाराम पुत्र दानाजी को विक्रय की थी एवं भूमि का कब्जा प्रदान किया गया था। पारिवारिक विभाजन में उक्त श्री गेमाराम वाली भूमि भी अप्रार्थी संख्या–1 के पिता को प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या– 1 के पूर्व रसाधिकारी उक्त भूमि पर तब से निरन्तर काबिज थे एवं मकान बनाकर निवास कर रहे थे। मोतीजी के पारिवारिक विभा[illegible] मोतीजी वाली भूमि अप्रार्थी संख्या–1 को प्राप्त हुई। उक्त भूमि 80 गुणा 2[illegible] फीट [illegible] अप्रार्थी संख्या–1 का कब्जा चला आ रहा है और पक्का मकान बना कर निवास कर रहा है। अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:23:08 IST
Reason: SelfAttested

.......पेज तीन पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *
सत्यमेव जयते

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 35 उक्त पट्टेशुदा भूमि में अप्रार्थी संख्या–1 के हिस्से में आई भूमि का ही पुनः बनाया गया है। पक्का मकान 35 वर्ष पूर्व बनाया गया है। मकान में विद्युत व जल सम्बन्ध भी करीब 25 वर्ष पूर्व लिया गया है। अप्रार्थी संख्या–1 के मकान के पूर्व व पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या–1 के भाईयों मकान बने हुए हैं। अप्रार्थी संख्या–1 के पूर्वरसाधिकारीयों की उक्त पट्टा संख्या 302 दिनांक 24.09.1984 की भूमि के आस पास घनी आबादी है। उक्त प्रश्नगत पट्टा वाली भूमि कभी भी गोचर भूमि नहीं रही है। प्रश्नगत पट्टे वाली भूमि के आस पास सम्पूर्ण क्षेत्र में मकानात बने हुए हैं एवं घनी आबादी बसी हुई है। राजस्व अभिलेख में भूमि की प्रकृति गोचर भौतिक स्थिति के विपरित व गलत अंकित है। अप्रार्थी संख्या–1 या उसके पूर्व रसाधिकारियों को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है एवं ना उनके कब्जे व मकानात के संबंध में कोई आपत्ति राजस्व विभाग अथवा ग्राम पंचायत अथवा नगर पालिका द्वारा ही की गई है और न उक्त मकानात वालों के कब्जे के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा भी अब तक किसी प्रकार की कार्यवाही की गई है। यदि अप्रार्थी अथवा उसके पूर्व रसाधिकारी का गोचर भूमि पर कब्जा होता तो राजस्व कर्मचारियों व अधिकारीयों द्वारा उक्त संबंध में आपत्ति अवश्य की जाती। राजस्व विभाग अथवा ग्राम पंचायत अथवा नगर पालिका की चुप्पी ही निगरानी के तथ्यों को झूठलाती है। यह कि जिला कलेक्टर सिरोही के पत्र क्रमांक/मा.ज.सु./स. प्र. (32)/2022/76 दिनांक 01.06.2022 से दिनांक 07.12.2021 को जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति बैठक में पेश प्रकरण SUO MOTO के तहत दर्ज कर अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे व स्वामित्व के भूखंड के संबंध में की जाना अप्रार्थी स्वीकार नहीं करता है। जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कमा समिति में प्रस्तुत शिकायत परिवाद में तत्कालीन ग्राम सेवक फाऊलाल एवं विकास अधिकारी रानू इंकिया के विधि विरुद्ध क्रियाकलापों की शिकायत की गई थी। उपखंड अधिकारी द्वारा की गई जांच की प्रति निगरानी आवेदन के साथ उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उपखंड अधिकारी द्वारा की गई कथित जांच में अप्रार्थी से कोई पूछताछ नहीं की गई है एवं न अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर ही दिया गया हैं। कथित जांच स्पष्टतः उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना में खानापूर्ति मात्र है एवं एक पक्षीय होने से विश्वसनीय नहीं है एवं ना ही गौर योग्य है। कथित जांच अधिकारी द्वारा यदि मौका स्थल का निरिक्षण किया गया होता तो पट्टे निरस्त कराने हेतु प्रकरण पेश करने की सिफारिश ही नहीं करते। जांच अधिकारी द्वारा मात्र उन्हीं पट्टों के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है जो वर्ष 2021 में जारी किए गए है। जांच अधिकारी ने भूमि पर स्थित पुराने मकानों, पुराने कब्जों व पुराने पट्टों के सम्बन्ध में कोई पड़ताल ही नहीं की है। उक्त आधी अधुरी जांच पर संज्ञान लेकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी पोषणीय ही नहीं है। पंचायत द्वारा जारी किए गए पट्टे आबादी भूमि के है तथा विधि अनुसार जारी किए गए हैं। उक्त पट्टे निरस्त किए जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी तहसीलदार को निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंचायत प्रसार अधिकारी को ग्राम पंचायत की कार्यवाहीयो को चुनौती देने को अधिकृत किया गया है। प्रश्नगत भूमि वाला क्षेत्र गत 50 वर्षों से अधिक समय से आबादी के रूप में उपयोग आ रहा है। उक्त भूमि के पीछे मारेलाई नाड़ी थी। उक्त नाड़ी के पास की भूमि में अप्रार्थी संख्या–1 के मकान के पीछे प्रजापत धर्मशाला बनी हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त क्षेत्र को मेघवाल वास के पास, नई आबादी के नाम से विकसित कर योजना बनाकर पट्टे जारी किए गए हैं। यह कि अभिलेख का संधारण करने का दायित्व अप्रार्थी संख्या 2 का है। जांच अधिकारी को अभिलेख संब[illegible]ारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाने मात्र से नियमों का उल्लंघन होने की [illegible] होने की अवधारणा नहीं ली जा सकती है। प्रार्थी ने स्पष्ट नहीं किया है कि [illegible] पंचायती राज अधिनियम की धारा 146

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:23:08 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

का किस प्रकार उल्लंघन हुआ एवं क्या अनियमितता पाई गई ? प्रार्थी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि बिना किसी अभिलेख के अवलोकन के अनियमितता होना किस आधार पर निष्कर्ष निकाला है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्पष्ट व संदिग्ध है और विधि में परिपोषणीय नहीं है। प्रश्नगत पट्टे वाली भूमि तथा आस पास के क्षेत्रों में पक्के मकान बने हुए हैं एवं घनी आबादी क्षेत्र है। उक्त भूमि श्री मछाराम पुत्र मनाजी प्रजापति निवासी जावाल को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 302 दिनांक 24.09.1984 की आबादी की कब्जे व अधिपत्य की भूमि थी एवं उक्त भूमि खरीद किए जाने के समय से अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वरसाधिकरीयो ने करीब 35 वर्ष पूर्व मकान बनाकर निवास आरंभ किया था। उसी पट्टेशुदा भूमि पर स्थित पुराने आवास गृह का नया पट्टा अप्रार्थी ने प्राप्त किया है। उक्त पुराने पट्टे को आज तक चुनौती नहीं दी है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त विभाजन में प्राप्त भूमि पर पुराने मकान के स्थान पर नया मकान करीब 10 वर्ष पूर्व बनाया गया है। ग्राम पंचायत उक्त भूमि का पट्टा सन् 1984 में ही जारी कर चुकी है, जो अस्तित्व में है। उक्त भूमि व आसपास का संपूर्ण क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जो सेटलाईट मानचित्र से भी तस्दीक किया जा सकता है। उक्त क्षेत्र में कोई राजस्व भूमि या प्रतिबन्धित भूमि अस्तित्व में ही नहीं है।यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 166 के तहत आबादी भूमि विक्रय करने के पंचायत के मूल आदेश की अपील अधिनियम की धारा 61 के तहत किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिन मामलों में अपीलें प्रावधानित है, उन मामलो में निगरानी के जरिये हस्तक्षेप करना अपीलीय न्यायालयों द्वारा अवैध होना विनिश्चित किया है। विधि में राजस्थान सरकार को पृथक से कोई छुट प्रदान नहीं की गई है और नियम कायदे प्रार्थी पर भी लागू होते है। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी क्षेत्राधिकार में नहीं होने से कानूनन परिपोषनीय नही है। अप्रार्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि सामान्य अवधि अधिनियम के तहत निगरानी आवेदन पेश करने हेतु 90 दिन की अवधि निश्चित है, इस कारण से प्रार्थी का निगरानी आवेदन मियाद बाहर है। विधि में हर अनुतोष हेतु अवधि नियत है। प्रार्थी की निगरानी न तो अवधि मध्य है और न निगरानी पोषणीय ही है। निगरानी हेतु जहां अवधि का प्रावधान नहीं है, वहां यथोचित समय के भीतर पेश किया जाना माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधिक दृष्टान्त 1997 SAR 783 में व उच्च न्यायालय ने 1999 RLW [3] 1390 में अभिनिर्धारित किया है। यह कि वादग्रस्त पट्टे वाली भूमि घनी आबादी क्षेत्र में है। उक्त भूमि गत करीब 50 वर्षों से भी अधिक समय से आबादी के रूप में उपयोग आ रही है वादग्रस्त भूमि की प्रकृति गोचर भूमि नहीं है। राजस्व अभिलेख सुधारने का दायित्व राज्य सरकार के कर्मचारियों का उनके द्वारा की गई चूक की सजा अप्रार्थी को नहीं दी जा सकती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय AIR 2015(Raj) Page 401 व 2015(2) DNJ (Raj) 593 में प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार उक्त भूमि की प्रकृति आबादी की है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा किया गया नियमन वैध है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने हेतु लिए गए प्रस्ताव मूल आदेशों को प्रार्थी द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। मूल प्रस्ताव के अस्तित्व में रहते प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विधि में पोषणीय नहीं है। नियमों की पालना करने का दायित्व अप्रार्थी संख्या 2 का था। अप्रार्थी संख्या 1 की जानकारी में अप्रार्थी सं. 2 द्वारा नियमों की पालना विधिवत की गयी है एवं उसमें कोई अनियमितता नहीं है। नियम व प्रावधान विधिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बनाए गए है न कि उनकी आड़ में अडचनें व उलझनें पैदा करने के लिए। अन्यथा भी अप्रार्थी सं. 1 के हक में हुए अंतरण में यदि कोई कमी रही भी है तो वे अवैधता [illegible] उससे जारी पट्टा विलेख की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता है। यह कि [illegible] निगरानी के माध्यम से अपील निर्णित करवाना चाहता है। निगरानी व अपील की [illegible] हेतु पृथक व सीमित अधिकार

.....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:23:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय *सिरोही*
सत्यमेव जयते

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रदान किए गए है। प्रार्थी ने निगरानी के जो आधार लिए है वे अपील में ही उठाए जा सकते है। विधि में अपील की व्याप्ति व निगरानी की व्याप्ति में भारी भिन्नता है। निगरानी की व्याप्ति सीमित है एवं निगरानी केवल क्षेत्राधिकार की त्रुटि के सम्बन्ध में ही प्रस्तुत की जा सकती है। प्रार्थी ने उक्त निगरानी आवेदन पट्टा निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है, जबकि ग्राम पंचायत जावाल का उदात्तीकरण हो कर नगर पालिका बनाई जा चुकी है और ग्राम जावाल में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम प्रभाव में आ चुका है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के प्रभाव में आने के साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान ग्राम जावाल पर लागू नहीं होते है। प्रार्थी ने जिस राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत आवेदन किया है। ऐसा कोई कानून अधिनियम ग्राम जावाल के क्षेत्राधिकार में प्रभाव में नहीं है। निरस्तशुदा कानून के तहत प्रार्थी द्वारा पेश निगरानी विधि में पोषणीय नहीं है। यह कि अप्रार्थी संख्या–1 (एक) हजारों रुपया मकान बनाने में व भूमि सुधार में व्यय कर चुका है। विवादित पट्टे वाली भूमि यद्यपि अप्रार्थी के स्वामित्व की भूमि है। प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में दर्शाई उक्त भूमि गोचर या राजकीय प्रतिबंधित भूमि है या ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है? का विवाद सक्षम न्यायालय द्वारा ही निर्णित किया जा सकता है। स्वत्व विवाद सक्षम दिवानी न्यायालय में समुचित साक्ष्य को गुणावगण पर परख कर विनिश्चित किया जा सकता है। भूमि अप्रार्थी के कब्जे में है। राजस्व न्यायालयों को दिवानी अधिकार तय करने का एवं कब्जा प्रदान कराने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पट्टा जारी किया गया है, अतः प्रकरण में न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत आवासीय पट्टा संख्या 35 (जिस पर मिसल संख्या 219 दायर दिनांक 22.1.2021 अंकित है) जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है उन्हें राजस्थान पंचायती वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी ब[illegible] 25 [illegible]

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सू[illegible]ित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभा[illegible] (i) के उप–खण्ड (ख)

....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:23:08 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड़ (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान" के स्थान पर अभिव्यक्ति "31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान" प्रतिस्थापित की गई है।

पत्रावली पर उपलबध दस्तावेज उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांकःसतर्कता/जांच/2022/175 दिनांक 22.3.2022 के द्वारा जिला कलेक्टर, सिरोही को प्रेषित जांच रिपोर्ट (जो जिला जन अभाव अभियोग एवं सर्तकता समिति की बैठक दिनांक 07.12.2021 में Suo Moto दर्ज प्रकरण के संबंध में एवं जिला कलेक्टर, सिरोही के पत्र क्रमांकःसर्तकता/33(14)() बैठक/2021/185 दिनांक 13.12.2021 के सन्दर्भ में प्रेषित की गई है) की छाया प्रति एवं इस रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रेषित दस्तावेज उप तहसीलदार, कालन्द्री की अध्यक्षता में उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा गठित टीम (जिसमें भू अभिलेख निरीक्षक, जावाल, पटवारी हल्का जावाल, पटवारी हल्का सनपुर व पटवारी हल्का आमलारी समिल्लित है) की मौका जांच रिपोर्ट की छाया प्रति का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जिस भूमि का आवासीय पट्टा जारी किया गया है वह भूमि राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 278 किस्म गोचर भूमि दर्ज है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अर्न्तगत ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने का अधिकार प्रदत्त है। ग्राम पंचायत को गोचर भूमि में आवासीय पट्टा जारी करने का काननून कोई अधिकार नही है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में गोचर भूमि का पट्टा जारी कर नियमों की अवहेलना की गई है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी सवाराम पुत्र मोती जी, जाति– घांची, निवासी– जावाल .के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 35 (जिस पर मिसल संख्या 219 दायर दिनांक 22.1.2021 अंकित है) को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय * सिरोही *
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:23:08 IST
Reason: SelfAttested